

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-28/2016गृ0आ0.....पटना, दिनांक मार्च, 2017
सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001-जिला कार्यकारी दल पुलिस हेतु, विषय शीर्ष 01 01-वेतन एवं 01 03-जीवन यापन भत्ता तथा विपत्र कोड N2055001090001 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 003-शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0007-प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतल्ला, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता, 01 04-मकान किराया भत्ता, 01 06-चिकित्सा भत्ता एवं 01 07-अन्य भत्ता तथा विपत्र कोड N2055000030007 अंतर्गत क्रमशः ₹ 20,00,000, ₹ 25,00,000, ₹ 5,00,000, ₹ 1,00,000 एवं ₹ 19,00,000 यानि कुल ₹ 70,00,000 (सत्तर लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-28/2016 गृ0आ0.....पटना, दिनांक 23 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
21/03/17

सरकार के अवर सचिव